

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड : नई दिल्ली
(कार्मिक प्रभाग)

सं: एसटीसी /मुख्या./कार्मि./औ.सं./02076(खण्ड-V)/2017

दिनांक: 05-04-2024

परिपत्र सं: औ.सं./06/2024

संदर्भ : i) परिपत्र सं: औ.सं./33/2012 दि: 30-11-2012

ii) परिपत्र सं: औ.सं./05/2018 दि: 02-04-2018


विषय: सेवारत कर्मचारियों के लिए ओपीडी प्रतिपूर्ति सीमा

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 09.02.2024 को आयोजित अपनी 654वीं बैठक में सेवारत कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए ओपीडी के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम वार्षिक सीमा को 20,000/- रुपये से 40,000/- रुपये तक बहाल करने को मंजूरी दे दी गयी, जो कि दिनांक: 01.04.2024 से प्रभावी होगी।

2. उपरोक्त 40,000/- रुपये प्रति वर्ष की सीमा में दवाओं की सभी प्रणालियों (एलोपैथिक, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक आदि सहित) के साथ-साथ दंत चिकित्सा या प्रयोगशाला/क्लिनिकल आदि के उपचार के खर्च भी शामिल होंगे। यह 40,000/- रुपये प्रतिवर्ष की सीमा कर्मचारी और उसके आश्रित परिवारजनों के लिए ओपीडी में इलाज के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा होगी। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में प्रयोगशाला/क्लिनिकल परीक्षणों सहित ओपीडी उपचार पर 40,000/- रुपये से अधिक के किसी भी खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। 40,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक की कोई भी अतिरिक्त प्रतिपूर्ति होती है, तो यह संबंधित कर्मचारी को देय किसी भी भुगतान से वसूल किया जाएगा।

3. उपरोक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू किया जाता है।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(एस.के.मीणा)

संयुक्त महा प्रबंधक(कार्मिक)

ई मेल के द्वारा:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(वित्त)/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- मुख्यालय में सभी प्रभागाध्यक्ष
- सभी प्रतिनिधि कार्यालय

प्रति:

- मुख्य प्रबंधक(वित्त) व मुख्य वित्त अधिकारी
- महा सचिव, एसटीसी अधिकारी एशोसिएशन
- महा सचिव, एसटीसी कर्मचारी संघठन
- नोटिस बोर्ड / एसटीसी बेवसाइट

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED: NEW DELHI
(PERSONNEL DIVISION)

No. STC/CO/PER/IR/02076(Vol-V)/2017

Date: 05.04.2024

CIRCULAR NO: IR/06/2024

Ref: i) Circular No.IR/33/2012 dated 30.11.2012

ii) Circular No.IR/05/2018 dated 02.04.2018


Sub: OPD reimbursement ceiling for serving employees

The Board of Directors in its 654th meeting held on 09.02.2024 approved restoration of the maximum annual ceiling for reimbursement of medical expenditure of OPD to Rs.40,000/- from Rs.20,000/- for serving employees and their dependant family members w.e.f. 01.04.2024.

2. The above limit of Rs. 40,000/- per annum will include expenditure for all systems of medicines (including Allopathic, homeopathy & Ayurvedic etc.) as also expenses towards the treatment for dental or laboratory/clinical etc. This limit of Rs.40,000/- per annum will be the outer limit of reimbursement for treatment in OPD for the employee and his dependant family members. Any expenditure incurred beyond Rs.40,000/- on OPD treatment including laboratory/clinical tests in a particular financial year will not be reimbursed. Any excess reimbursement beyond Rs.40,000/- p.a. will be recovered from any payment due to the concerned employee.

3. The above shall be implemented from Financial Year 2024-25 onwards.

4. This issues with the approval of the Competent Authority


(S.K.Meena)

Jt. General Manager (Pers.)

By Email:

- Exe.Secy. to CMD
- Ex.Secy. to Director (Fin.)/CVO
- All Divisional Heads at C.O.
- All ROs

Copy to:

- CM (Fin.) & CFO
- GS, STC Officer's Association
- GS, STC Employees' Union
- Notice Board
- STC Website